

26.12.19

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

25

अधिसूचना

अधि०सं० :- 2/ अ0प्र0-4-08/2015 3587 /पटना, दिनांक :- 6/12/19

श्री सुरेन्द्र प्रसाद महतो, तदेन सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त को कार्य प्रमंडल, बक्सर अंतर्गत एम0एम0जी0एस0वाई0 योजना के तहत कार्यान्वित सिकरौल लख से खरवनिया पथ में बिना सिलकोट का कार्य कराये संवेदक को रू0 5,01,840/-का अधिकाई भुगतान किये जाने तथा इस संबंध में सिकरौल थाना कांड संख्या-15/2008 दर्ज किये जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-10147 दिनांक 22.12.2008 को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गयी।

2. श्री महतो द्वारा निलंबन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 9202/2009 में दिनांक 04.08.2009 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-7868 दिनांक 17.10.2010 द्वारा श्री महतो को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया। साथ ही निलंबन अवधि का विनियमन अपराधिक मामले के फलाफल के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार श्री महतो दिनांक 22.12.2008 से 16.10.2010 तक निलंबित रहे।

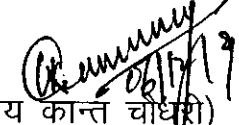
3. मामले में श्री महतो के विरुद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 22.05.2015 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए श्री महतो के दिनांक 31.07.2016 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें अधिसूचना संख्या 2354 दिनांक 19.08.2019 द्वारा पेंशन से अगले दो वर्षों तक दस प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित की गयी। साथ ही श्री महतो से उक्त योजना में अधिकाई भुगतान की राशि समानुपातिक रूप से कुल रू0 1,67,280/- की वसूली का निर्णय लिया गया।

4. मामले में दर्ज सिकरौल थाना कांड संख्या-15/2008 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर Criminal Miscellaneous case No.- 43021/2008 में दिनांक 08.10.2013 को पारित आदेश द्वारा उक्त अपराधिक वाद की सम्पूर्ण कार्यवाही, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बक्सर के दिनांक 14.03.2011 के संज्ञान आदेश सहित को निरस्त कर दिया गया।

5. श्री महतो के आवेदन दिनांक 11.09.2019 द्वारा उक्त अपराधिक वाद को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने के आलोक में निलंबन अवधि दिनांक 22.12.2008 से दिनांक 16.07.2010 तक की अवधि का सेवा विनियमन करने का अनुरोध किया गया।

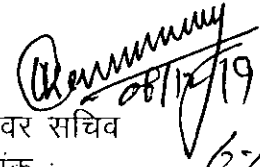
अतएव उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री महतो के द्वारा समर्पित आवेदन दिनांक 11.09.2019 के समीक्षोपरान्त उक्त अपराधिक कार्यवाही माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये जाने के आलोक में श्री महतो को निलंबन अवधि दिनांक 22.12.2008 से 16.07.2010 तक का पूर्ण वेतन भत्ते आदि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं उक्त राशि में से श्री महतो से वसूलनीय राशि रू0 रू0 1,67,280 का समायोजन करते हुए निलंबन अवधि को विनियमित किया जाता है। उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(उदय कान्त चौधरी)
अवर सचिव

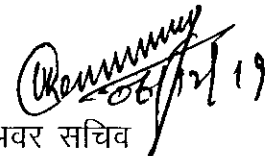
ज्ञापांक :- 2/ अ0प्र0-4-08/2015 3588 /पटना, दिनांक :- 6-12-19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, पटना को आदेश की मूल प्रति एवं दो अतिरिक्त छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव
6-12-19

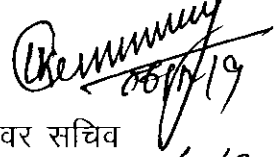
ज्ञापांक :- 2/ अ0प्र0-4-08/2015 3588 /पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव
6-12-19

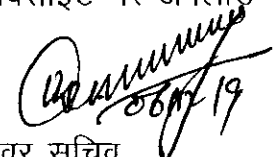
ज्ञापांक :- 2/ अ0प्र0-4-08/2015 3588 /पटना, दिनांक :- 6-12-19

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा/दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी/अवर सचिव (स्थापना प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/उप सचिव (लेखा प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री सुरेन्द्र प्रसाद महतो, तदेन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत्त। पत्राचार का पता:-ग्राम-कोल्हूआ, पोस्ट-सौनपताहो, जिला-मधुबनी, पिन कोड-847401 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव
6-12-19

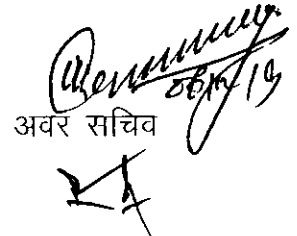
ज्ञापांक :- 2/ अ0प्र0-4-08/2015 3588 /पटना, दिनांक :- 6-12-19

प्रतिलिपि :- विभागीय आईटी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव
6-12-19

ज्ञापांक :- 2/ अ0प्र0-4-08/2015 3588 /पटना, दिनांक :- 6-12-19

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित।


अवर सचिव
6-12-19